

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

<p>7. परियोजना / स्कीम का स्थान</p> <p>(i) राज्य / संघ शासित प्रदेश</p> <p>(ii) जिला</p> <p>(iii) वन प्रभाग</p> <p>(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि</p> <p>(v) वन की कानूनी स्थिति</p> <p>(vi) हरियाली का घनत्व प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना</p> <p>(vii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी</p> <p>(viii) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव , अभ्यारण जीवमंडल आदि का भाग है। (यदि हो तो क्षेत्र का व्योरा तथा मुख्य वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय।</p> <p>(ix) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ / संकटापन / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हों तो तत्सम्बन्धी व्योरा दे।</p> <p>(x) क्या कोई सुरक्षित पूरातात्विक / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थिति है। यदि हों तो तत्सम्बन्धी व्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दें।</p>	<p>यह परियोजना हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी द्वारा (बहराइच-आजमगढ मार्ग) फैजाबाद-अकबरपुर मार्ग किमी 164-165 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या -2937, 2938, 2940 व 2941 में पेट्रोल / डीजल के रिटेल आउट लेट स्थापित किये जाने हेतु मार्ग की संरक्षित वन भूमि से रिटेल आउट लेट तक की आवागमन की सुविधा के लिए वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत निम्न निन्दुओं पर अनुमति की आवश्यकता है।</p> <p>1-सम्पर्क मार्ग जो संरक्षित वन भूमि है उसके गैर वानिकी अनुमति की आवश्यकता है।</p> <p>उत्तर प्रदेश अम्बेडकरनगर अम्बेडकरनगर</p> <p>0.07468 हे०</p> <p>संरक्षित वन भूमि यह भाग में सड़क साइड पटरी है। मौके पर संरक्षित वन भूमि पर 06 वृक्ष स्थिति है। परिणामा संलग्न है। ये भू-भाग भू-क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।</p> <p>नहीं</p> <p>सामान्यतः यूके०, सिरस, शीशम, अजुर्न, बबूल आम आदि के वृक्ष सड़क के किनारे रोपित किये गये है।</p> <p>नहीं</p>
--	---

<p>8-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।</p>	<p>न्यूनतम है।</p>
<p>9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।</p>	<p>अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।</p>
<p>10-क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेत्तर /अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखंडों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार (ii) क्षतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवकमित वन क्षेत्र औरआस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी के समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय । (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टि कोण से सक्षम प्राधिकारण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाय।</p>	<p>प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण टाण्डा-अकबरपुर रोड के किनारे संरक्षित वन भूमि में किया जाना है। संलग्न है। संलग्न है। विवरण संलग्न है। संलग्न है।</p>
<p>11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 ,8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)</p>	<p>संलग्न है।</p>
<p>12-विभाग /जिला प्रोफाइल (प) जिले का भौगोलिक क्षेत्र (पप) जिले का वन क्षेत्र (पपप) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र</p>	<p>2520 वर्ग किमी0 धारा-4 में घोषित कुल 269.78 हे0 8 , कुल संरक्षित वन भूमि 30.5466 हे0</p>
<p>(पअ) 1980 से जिला /प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरण वनीकरण सहित (ख) वनेत्तर भूमि पर</p>	<p>17.118 हे0 रिक्त रिक्त</p>

13-प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की सिफारिश

तिथि- 22-07-2016

स्थान-अकबरपुर अम्बेडकरनगर

यह परियोजना हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी द्वारा (बहराइच-आजमगढ मार्ग) फैजाबाद-अकबरपुर मार्ग किमी 164-165 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या -2937, 2938, 2940 व 2941 में पेट्रोल /डीजल के रिटेल आउट लेट स्थापित किये जाने हेतु मार्ग की संरक्षित वन भूमि से रिटेल आउट लेट तक की आवागमन की सुविधा के लिए मार्ग की संरक्षित वन भूमि 0.07468 हे० के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्रदान किये जाने की संस्तुत की जाती है।

(ए०के०शुक्ला)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग अम्बेडकरनगर